

पु. श. अ.
रा. स. अ. अधिकारी

10.7.23

पञ्जावली पेशा उद्योग वस्तुव्यापक फरीकोट उप. 1. सामान्य पार्टी
नं. 1 उप. 1. पार्टी नं. 1 के गवाये से पार्टी नं. 2 के
अभिभाषक द्वारा बिरह कलिये सामान्य पञ्जावली का
अवरोधक विदा गमाय। अभिभाषक पार्टी नं. 2
का कथन है कि पञ्जावली से दावोवण्डे की



मोटे कापी लगी हुई है पत्रावली में प्रमाणित दस्तावेज नहीं है शक्ति कि जमावले दस्तावेजों के लिए नहीं कर लकने है आगधिकारी सड़ कारों से जमावले दस्तावेज फेज कलाने जाते। पार्टी नं. 1 के अधिभाषक द्वारा पत्रावली है जमावले दस्तावेज नहीं होने का जमाने किया गया अधिभाषक पार्टी नं. 1 का कथन है कि जब पत्रावली में जमावले दस्तावेज नहीं है मोटे कापी है है उक्त पत्र दस्तावेज के कारण से दर्ज नहीं होना चाहते या उक्त दस्तावेज के अभाव से खरिद किया जावे।

दोनों अधिभाषकों को पुनः जमा पत्रावली का एवं उक्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पार्टी नं. 2 जीएन तिवारी पुत्र राजेश तिवारी द्वारा 145 वीं पुच्छि इत कार्यवाही कले का जमाने पत्र उक्त किया कि पत्र आगधिकारी सड़ कारों द्वारा धारा 145 CrP का उक्त वेदा कले पार्टी नं. 1 व पार्टी नं. 2 का फेज किया गया। पार्टी नं. 2 द्वारा 145 CrP वीं कार्यवाही पुच्छि के इत कलाना कलाना गयी है जमावले दस्तावेज उक्त कले वीं जिम्मेदारी भी पार्टी नं. 2 वीं ही है पार्टी नं. 2 द्वारा मोटे कापी पुच्छि भाने से उक्त कले धारा 145 वीं कार्यवाही पार्टी नं. 1 के खरिद कलाना गया पार्टी नं. 2 द्वारा एवं उक्त आगधिकारी भाना सड़ कारों द्वारा जमावले दस्तावेज फेज नहीं कले के कारण उक्त दस्तावेजों के आधार पर खरिद किया गया है। पत्रावली में उक्त इत कले का नतीजा नकली के दस्तावेज दल है।

WL
 उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 बारां